Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै0मि0शा0 / 21 / 6622 दिनांकः– 11-2-21

कार्यपरिषद की 65 वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 65 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 डॉ0 अनुला मौर्य, माननीया कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर।
2 श्री संदेश नायक, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3 प्रो0 दीरघराम रामस्नेही, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं प्राचार्य राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर।
4 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
5 डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा, सह आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
6 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
7 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, कुलसचिव, सदस्य सचिव (पदेन), जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के मंगलाचरण के साथ कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
65–1	कार्यपरिषद् की 63 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–25 एवं 63–26 माननीया कुलपति महोदया के आदेशानुसार पुनः विचारार्थ / निर्णयार्थ तथा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा प्रेषित अभिमत का पत्र दिनांक 27.11.2019 विचारार्थ एवं कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के निर्णयानुसार बिन्दु संख्या 63–27, 63–28 (डॉ0 नाथूलाल सुमन, पूर्व कार्यपरिषद सदस्य द्वारा प्रेषित खुला लिफाफा) एवं 63–29 पुनः विचारार्थ / निर्णयार्थ तथा अन्य शेष बिन्दुओं के पालनाओं की पुष्टि।	कार्यपरिषद् में राज्य सरकार के प्रतिनिधी प्रो0 रामकिशोर शास्त्री जी के पत्र को संज्ञान में लिया एवं कार्यपरिषद् द्वारा पत्र से सहमति व्यक्त करते हुए विधिपूर्वक कार्यवाही के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय द्वारा क्रमांक 19883 दिनांक 10.01.2020 को जारी किया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–25, 26,27,28 एवं 63–29 के बिन्दुओं को इस कार्यपरिषद् की बैठक कार्यवाही की बिन्दु संख्या 65–39, 40 पर निर्णय लिये गये है। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–1 के 62–3 में उल्लेखित बैठक कार्यवाही विवरण में "जानबूझकर" को विलोपित करने का निर्णय लिया गया कि इस संबंध में समस्त निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया है। संबंधित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट वर्तमान पदस्थापित वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार कर आगामी कार्यपरिषद् में रखे जाने का निर्णय लिया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के क्रम में शेष बिन्दुओं के लिये प्रस्तुत निर्णय एवं पालना रिपोर्ट की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–2	कार्यपरिषद् की 64 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–3	विद्यापरिषद् की ऑनलाईन आयोजित की गई 27 वीं बैठक के कार्यवृत्त की माननीया कुलपति महोदया द्वारा 12(4)(1) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–4	विद्यापरिषद् की 28 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–5	विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षो के पद पर नियुक्ति यूजीसी के नियमान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर को ही नियुक्त करने बाबत् माननीया कुलपति	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11/02/2021 11.02.21

	महोदया द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12(4)(1) के अन्तर्गत किये जाने के संबंध में यू0ओ0 नोट क्रमांक 5587 दिनांक 04.01.2021 की पुष्टि।	
65–6	विश्वविद्यालय के अधिनियम 1998 की धारा 12(4) के अन्तर्गत माननीया कुलपति महोदया के अनुमोदन उपरान्त परीक्षा वर्ष 2017 एवं 2018 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक वितरित किये जाने के संबंध में परीक्षा नियंत्रक के यू0ओ0नोट क्रमांक 5128 दिनांक 20.11.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–7	माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12(4)(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा वर्ष 2019 के परीक्षार्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप अनुचित साधन प्रकरण निस्तारण समिति की अभिशंषा पर दण्डित/दोषमुक्त किये जाने का आदेश क्रमांक 760–771 दिनांक 19.10.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–8	राज्य सरकार वित्त विभाग (नियम विभाग) के आदेश क्रमांक Fo.6(5)FD(Rules)/2009 जयपुर दिनांक 10.11.2020 के तद्नुसार विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों जिनकी ग्रेड पे 4800/– एवं एल–12 या उससे कम है तथा राज्य सेवा स्तर के अधिकारी से कम है, को 30 दिवस का तदर्थ (Ad-hoc Bonus) बोनस सत्र 2019–20 की भुगतान स्वीकृति के कार्यालय आदेश क्रमांक 3698–99 दिनांक 05.12. 2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–9	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम विभाग) के आदेश क्रमांक Fo.6(5)FD(Rules)/2009 जयपुर दिनांक 18.10.2019 के तद्नुसार विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों जिनकी ग्रेड पे 4800/– एवं एल–12 या उससे कम है तथा राज्य सेवा स्तर के अधिकारी से कम है, को 30 दिवस तक तदर्थ बोनस सत्र 2018–19 की भुगतान स्वीकृति का कार्यालय आदेश क्रमांक 17478–79 दिनांक 19.10.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–10	डॉ0 के0 साम्बशिवमूर्ति को विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 19.11.2020 अपराह्न पश्चात् से कार्यमुक्त करने का कार्यालय आदेश क्रमांक प.(182)/जरारासंविवि/संस्था/20/3632–39 दिनांक 19.11.2020 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–11	डॉ0 प्रमोद कुमार शर्मा को विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 22.10.2020 अपराह्न पश्चात् से कार्यमुक्त करने का कार्यालय आदेश क्रमांक प.(425)/जरारासंविवि/संस्था/20/3135–41 दिनांक 22.10.2020 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–12	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, शारीरिक शिक्षक (प्रतिनियुक्ति) का प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 13.11. 2019 से 27.01.2020 तक कुल 68 कार्य दिवस की उपस्थिति का रूपये 200/–प्रति कार्य दिवस के हिसाब से कुल राशि रूपयें 13600/– (अक्षरे तेरह हजार छः सौ रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 1624–25 दिनांक 05.08. 2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–13	वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.07.2020 एवं दिनांक 24.12.2020 का बैठक कार्यवाही विवरण	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11.02.2021